



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक,
सेक्टर-19 नया रायपुर (छ.ग.)

Ph.No.0771-2512141, Email Id-aocsbajwa@yahoo.in, website-www.cghb.gov.in



क्रमांक 614 /सं.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.- /18 नया रायपुर, दिनांक 12/03/2018
प्रति,

अभिकर्ता,

श्री/श्रीमती सुचि रायपुर

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (RERA) में अभिकर्ता पंजीयन बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम (RERA) 2016 को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-41/2016/32 दिनांक 26 अप्रैल 2017 द्वारा भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम 2016 (2016 का 16) की धारा 84 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भू-संपदा के विनियम तथा विकास हेतु नियम प्रभावशील किए गए हैं। पूर्व में मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु अभिकर्ताओं का पंजीयन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में किया गया है। वर्तमान स्थिति में (RERA) अधिनियम/नियम का क्रियान्वयन राज्य शासन द्वारा पूर्ण प्रदेश में लागू/प्रभावशील कर दिया गया है। अतः मण्डल में अभिकर्ताओं का पंजीयन निष्प्रभावी हो गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में RERA के प्रभावशील होने के कारण कृपया आप सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ RERA में अपना पंजीयन अभिकर्ता के रूप में यथाशीघ्र करावें। छत्तीसगढ़ RERA में पंजीयन पश्चात् ही आप मण्डल की संपत्ति विक्रय करने तथा मण्डल द्वारा निर्धारित मानदेय के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ RERA में पंजीयन कराकर संबंधित प्रक्षेत्र कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर


पृ.क्र.615 /सं.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.- /2018 नया रायपुर, दिनांक 12/03/2018

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
3. अपर आयुक्त-I(जे.)/II(डी.)/III(पी.)/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल. मुख्यालय पर्यावास भवन. नया

-:-02-:-

5. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ भूसंपदा विनियम आयोग (RERA) शास्त्री चौक रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01,02,03, 04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द्र/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर की ओर कृपया आपके प्रक्षेत्र कार्यालय में पंजीकृत किए गए अभिकर्ताओं को छत्तीसगढ़ RERA में शीघ्र पंजीयन हेतु निर्देशित किया जावे तथा मुख्यालय को अवगत कराया जावे।


मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर